न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिह जोधा आर0ए0एस0

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
58 / 2018	06.11.2018	19.03.2019

सवाईसिह वगैरा बनाम **अभयसिह वगैरा**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 7 सीपीसी

अधिवक्ता प्रार्थी श्री हनंवतसिह भाटी उपस्थित ।
अप्रार्थी सख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्रसिह भाटी उपस्थित ।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 734 , 734 / 13 , 670 मौजा लूम्बानसर का पेश किया है जिसमें अप्रार्थी के द्वारा निमार्ण कार्य किया जा रहा है । बिना विभाजन अप्रार्थी द्वारा निमार्ण कार्य किया जा रहा है वर्तमान में अप्रार्थी निमार्ण कार्य करने , कार्य स्थल की स्थिति की मौका रिपोर्ट मगवानी आवश्यक है । मौका रिपोर्ट आ जाने से अप्रार्थीगण को कोई क्षति नही हो रही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही कर बहस हेतु निवेदन किया तथा दौराने बहस तर्क दिया की प्रकरण को केवल देरी करने के उदेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही है। प्रकरण में दस्तावेज इक्ट्ठा करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थी अधिवक्ता ने मौका कमिश्नर धारा 212 में नियुक्त नही करने का निवेदन किया ।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि आदेश 39 नियम 7 सीपीसी के प्रावधान व धारा 212 के प्रावधानों से भिन्नता है । धारा 212 के प्रावधानों में कब्जे सम्बन्धित विवाद में मौका रिपोर्ट मंगाई जानी (Warranted) प्रकाशित नही है बल्कि उसके लिए सम्बन्धित पक्षकारो को अपना केस रेकर्ड से प्रथम दृष्टया स्वयं सिद्व करना होता है। माननीय राजस्व बोर्ड ने भी दिनांक 12.09.2012 का रिवीजन सख्या 874 / 12 मेजरसिह बनाम जगरूपसिह में जरिये नजीरे निर्णय 10.02.2012 आरआरटी 2012 (2) में "साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नही किया जा सकता है। पक्षकारो को कब्जा साबित करना आवश्यक है "

अतः उपरोक्त नजीर व विवेचन के परिप्रेक्षय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 7 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र 212 के लिए दिनाक 26/3/19 को पेश हो ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी शेरगढ
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महावीरसिह जोधा (आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
58 / 2018	16.11.2016	05.04.2019

1. सवाईसिह पुत्र हडमतसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
2. रावलसिह पुत्र हडमतसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
3. मीरांकवर पत्नी हडमतसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
4. खतसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
5. मदनसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
6. रावलसिह पुत्र प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
7. लहरकंवर पत्नी प्रेमसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ

प्रार्थीगण

बनाम

1. अभयसिह पुत्र जवाहरसिह जाति राजपूत निवासी लूम्बानसर तहसील शेरगढ
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शेरगढ जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. श्री हनंवतसिह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. श्री पुष्पेन्द्रसिह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 1 की सयुक्त खातेदारी की सामलाती भूमि खसरा नम्बर 734 रकबा 6.03 बीघा , खसरा नम्बर 734 / 3 रकबा 04.03 बीघा भूमि कुल रकबा 10.06 बीघा व खसरा नम्बर 670 रकबा 19.13 बीघा मौजा लूम्बानसर पटवार हल्का सुवालिया तहसील शेरगढ मे स्थित है जिसमें प्रार्थीगण का 2 / 3 हिस्सा है व 1 / 3 हिस्सा अप्रार्थी सख्या 1 का है इसी अनुसार मौके पर काविज है एवं काश्त करते आ रहे है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की उक्त जमीन से पहले शेष खातेदारों के मध्य सामलाती भूमि थी उसका विधिवत रूप से बटवाडा सहमति के आधार पर तहसीलदार शेरगढ के समक्ष हुआ था जिसके आधार पर बटवाडा होने पर खसरा नम्बर 734 , 734 / 3 के हिस्से की भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हिस्से मे आई थी लेकिन अब उक्त बटवाडा होने के बाद शामिल रही जमीन का उपरोक्त दोनों खसरान का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य बटवाडा नही हुआ एवं बटवाडे को लेकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद हो गया प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सख्या 1 को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि को अलग करवाने का कई बार निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी सख्या 1 स्वीकार नही हुआ एवं अप्रार्थी सख्या 1 जबरन सडक की तरफ वाली भूमि को कब्जा करने के प्रयास में है एवं जबरन मौके पर हिस्से से अधिक की भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य करवाने के प्रयास में है प्रार्थीगण ने मना किया तो भी जबरन कब्जा करने की एवं जबरन निर्माण कार्य करने की धमकी

उपखण्ड अधिकारी
शेरगढ

Scanned by CamScanner

दी। वास्तवमे उक्त जमीन का विभाजन नही हुआ है इन दोनो खसरान के चिपती ही एक डामर सडक चलती है जिसमें खसरा नम्बर 670 की भूमि मे शुरू से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सख्या 1 का ही नाम है इस जमीन का भी बटवाडा न तो पूर्व मे हुआ न ही वर्तमान मे बटवाडा है । उक्त तीनो खसरान के पास से डामर सडक निकलती है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शा के अनुसार प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सख्या 1 के सयुक्त खातेदारी की सामलाती भूमि है सभी प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है मौके पर प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि पर शुरू से काश्त करते आ रहे है वर्तमान मे ही काबिज है अप्रार्थी सख्या 1 को बटवाडा इन्कार करने के बाद बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये सडक के पास पास की भूमि को जबरन हडपने की नियत से पत्थर डलवाकर नीव खुदवान का प्रयास किया एव माल मेटेरियल डालकर जबरन निर्माण कार्य करवाने के लिए प्रयास मे है एसे कार्य करने मे अप्रार्थी सख्या 1 सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण सडक की भूमि से वंचित रह जायेगे एव प्रार्थीगण आने जाने में अपना हक अधिकार समाप्त हो जायेगा इस आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जे काश्त में उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावे न ही उक्त सामलाती भूमि में बिना विभाजन निर्माण कार्य करे , न ही किसी अन्य से करावे तथा एक विशेष भू–भाग पर अप्रार्थीगण निर्माण कार्य करते है तो प्रार्थीगण के हक अधिकार प्रभावित होते है एवं सम्मानता के अधिकार से भी वंचित रह जायेगे । इस आधार पर प्रार्थीगण का राजस्व रेकर्ड के आधार पर एवं मौके की स्थिति के आधार पर ठोस प्रथम दृष्टया मामला है ।

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 734 रकबा 6.03 बीघा , खसरा नम्बर 734/3 रकबा 4.03 बीघा व खसरा नम्बर 670 रकबा 19.13 बीघा ग्राम लूम्बानसर पटवार हल्का सुवालिया में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्से की भूमि किसी प्रकार के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करे , न ही उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करे , न ही प्रार्थी के रास्ते आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न करे , न ही उक्त भूमि का बेचान , हस्तान्तरण करे व मौके व राजस्व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र पेश किया है। खसरा नम्बर 734 रकबा 6.03 बीघा , खसरा नम्बर 734/3 रकबा 4.03 बीघा व खसरा नम्बर 670 रकबा 19.13 बीघा ग्राम लूम्बानसर पटवार हल्का सुवालिया में आई हुई है । जिसमे अप्रार्थी सख्या 1 का 1/3 हिस्सा है मौके पर मौखिक बटवाडे अनुसार पक्षकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 734 रकबा 6.03 बीघा , खसरा नम्बर 734/3 रकबा 4.03 बीघा की भूमि का मौके पर मौखिक बटवाडा किया हुआ है तथा सभी पक्षकार अपने अपने हक व हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है । अप्रार्थी सख्या 1 की प्रार्थीगण से कोई बातचीत नही हुई है प्रार्थीगण ने गलत तथ्य उल्लेखित किये है अप्रार्थी सख्या 1 मौके पर अपने हिस्से की भूमि पर शातिपूर्वक काबिज है । प्रार्थीगण द्वारा जार जबरदस्ती सडक की तरफ की भूमि पर अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जबकी अप्रार्थी सख्या 1 मौके पर मौखिक बटवाडे अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करवा रहा था जिसको रूकवाने का प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है । प्रार्थीगण ने उक्त वाद मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया है डामर सडक की तरफ वाली भूमि पर अप्रार्थी सख्या 1 का 1/3 हिस्सा है । खसरा नम्बर 670 , 734 व 734/3 में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा बनता है । प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी सख्या 1 का 1/3 हिस्सा बनता है सडक की तरफ वाली भूमि पर प्रार्थीगण को अकेले को कब्जा करने

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

का कोई अधिकार नही है बल्कि सडक की तरफ वाली भूमि में अप्रार्थी सख्या 1 का हक हिस्सा व अधिकार बनता है तथा अप्रार्थी सख्या 1 मौके पर काबिज काश्त है ।

वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सख्या 1 की राजस्व रेकर्ड में सयुक्त खातेदारी दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सख्या 1 के मध्य मौके पर मौखिक बटवाडा हो चुका है सभी प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सख्या 1 मौके पर मौखिक बटवाडे अनुसार काबिज काश्त है । प्रार्थीगण ने बिना किसी अधिकार के गलत तथ्य उल्लेखित किये है । प्रार्थीगण द्वारा बिना बटवाडा करवाये मौके पर निमार्ण कार्य करवाया जा रहा है तथा अप्रार्थी सख्या 1 का निर्माण कार्य अपने हिस्से की भूमि पर करने से रोकने एवं बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से एवं अप्रार्थी सख्या 1 की भूमि हडप करने के उद्देश्य से उक्त वाद गलत एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है , कानून का तय सुदा सिद्धान्त है कि एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करवा सकता है इस कारण प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है ।

प्रार्थीगण मौके पर अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से की भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते है इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही है न ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण स्वयं द्वारा बिना बटवाडा किये हुए अप्रार्थी सख्या 1 के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य कर रहे है इस प्रकार प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति नही हो रही है बल्कि उक्त तीनों सिद्धान्त अप्रार्थी सख्या 1 के पक्ष में अधिक सुदृढ बनते है तथा कानूनन एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करवा सकता है इस कारण प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। इस कारण प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

प्रकरण की बहस सुनी गई पत्रावली व राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया दस्तावेज के आधार पर सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति, उक्त दोनों बिन्दुओं का निस्तारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। चूकी प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है एव वर्तमान राजस्व रेकर्ड भी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है । ऐसी स्थिति में वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तक किसी भी पक्ष को असुविधा या अपूरणीय क्षति नही होगी ।

परिणामः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बावत अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि की वर्तमान राजस्व रेकार्ड व मौका की यथा स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखे । पत्रावली मूल वाद के साथ सलग्न की जाती है।

आदेश आज दिनांक 5/6/19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीरसिंह जोधा)
सहायक जिलाधीश एवं
उपखण्ड अधिकारी शेरगढ

Scanned by CamScanner